राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी,(नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर **RAS**

राजस्व वाद संख्या ......176/17...... कैम्प ग्राम पंचायत मिंडावा

वादी — *बनाम* — प्रतिवादीगण,

भंवरलाल पुत्र ओमाराम जाति जाट नि. मिंडावा — (1) तहसीलदार कुचामन

वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनॉक :– 11/7/2017

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री......भंवरलाल...... पुत्र......ओमाराम...... जाति ......जाट...... निवासी ......मिंडावा...... तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है,वादी का नाम ग्राम ......मिंडावा...... के खाता सख्या/~~खसरा नम्बर~~ ......361...... में श्री......भंवराराम...... पुत्र ......ओमाराम...... जाति......जाट...... अंकित हो गया है, जो सही नही है। राशनकार्ड/पहिचान पत्र/आधार कार्ड मे सही नाम ......भंवरलाल...... पुत्र ......ओमाराम...... है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई। कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यो की जांच कर रिपोर्ट कैम्प ......मिंडावा...... में पेश करे। पत्रावली कैम्प ......मिंडावा...... में पेश हुई । तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु कैम्प ......मिंडावा...... मे दस्तावेज पेश किये ,जो शामिल मिसल किये । कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम ......मिंडावा...... तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/~~खसरा नम्बर~~ ......361...... में वादी श्री......भंवराराम...... पुत्र......ओमाराम...... निवासी......मिंडावा...... की जगह वादी का सही नाम ......भंवरलाल...... पुत्र ......ओमाराम...... जाति ......जाट...... निवासी ......मिंडावा...... दुरूस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो , मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक ......11/7/2017...... को सरे आम कैम्प ......11/7/2017...... में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)